हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 17 अंक : 8 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 अगस्त, 2026

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा

अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू नहीं

एससी-एसटी आरक्षण आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक भेदभाव और ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई के लिए है। बेहतर आय होने से यह भेदभाव खत्म नहीं हो जाता। - केन्द्र सरकार -

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धान्त लागू नहीं होता है यह सिद्धांत सिर्फ ओबीसी और एसईबीसी पर लागू है। सरकार ने उन जनहित याचिकाओं का विरोध किया हैए जिनमें एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने और सरकारी नौकरियों में अधिक न्यायसंगत आरक्षण नीति बनाने की मांग की गई है।

केंद्र ने कहा कि याचिकाओं में संविधान के तहत किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन का जिक्र नहीं है। साथ ही, मौजूदा कानून में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि क्रीमी लेयर का नियम एससी-एसटी पर लागू होता है। सरकार के मुताबिक यह अवधारणा सिर्फ ओबीसी और एसईबीसी आरक्षण से जुड़ी है।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 11 अगस्त को रमाशंकर प्रजापति और अन्य की जनहित याचिकाओं पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था।

याचिका में कहा गया कि अगर किसी एससी-एसटी परिवार का सदस्य पहले ही संवैधानिक या वरिष्ठ सरकारी पद हासिल कर चुका है, तो उसके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इससे आरक्षण का फायदा आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों तक ज्यादा समान रूप से पहुंच सकेगा। याचिकाकर्ताओं ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उप-श्रेणी सब-कैटेगरी बनाकर उन्हें प्रवेश और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की भी मांग की है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि एससी-एसटी की सूची में किसी भी तरह का बदलाव केवल संसद ही कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत किसी जाति या जनजाति को सूची में शामिल करने या हटाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है।

केंद्र ने यह भी कहा कि याचिका स्थापित कानून की अनदेखी करती है। सरकार ने इंदिरा साहनी मामले का हवाला देते हुए कहा कि एससी-एसटी और ओबीसी की पहचान ऐतिहासिक, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर होती है, सिर्फ आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं।

सरकार बोली: कल्याणकारी योजनाओं में पहले से सीमा लागू

केंद्र ने कहा कि एससी-एसटी के लिए चलाई जा रही अधिकांश कल्याणकारी योजनाओं में पहले से आय सीमा लागू है, ताकि योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे।

सरकार ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किन योजनाओं में बदलाव की जरूरत है और इससे गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल रहने वाले लोगों को कैसे फायदा होगा।

केंद्र ने कहा कि आय आधारित प्राथमिकता या आरक्षण नीति में किसी भी बदलाव से पहले व्यापक समीक्षा और सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों पर आधारित गहन अध्ययन आवश्यक है। साथ ही अदालत कार्यपालिका को किसी विशेष तरीके से नीति बनाने का निर्देश नहीं दे सकती, क्योंकि यह न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर का विषय है। सरकार ने रामाशंकर प्रजापति एवं अन्य तथा अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिकाओं को कानूनन विचारणीय न बताते हुए खारिज करने की मांग की है।

हलफनामे में कहा कि याचिकाओं में न तो संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठाया गया है और न ही किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन का मामला बनता है। इसलिए ये याचिकाएं संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत स्वीकार्य नहीं हैं।

केंद्र ने इन सभी याचिकाओं को भ्रामक बताया। सरकार के मुताबिक एससीए एसटी और एसईबीसी के कल्याण से जुड़ी अधिकांश योजनाओं में, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को छोड़कर, आय आधारित पात्रता पहले से लागू है ताकि लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 11 अगस्त को रामाशंकर प्रजापति एवं अन्य की याचिका पर और इस वर्ष 12 जनवरी को अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर केंद्र व राज्यों को नोटिस जारी किया था। इन याचिकाओं में एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने और आरक्षित वर्गों के भीतर आय आधारित प्राथमिकता की व्यवस्था की मांग की गई है।

केन्द्र ने चार फैसलों का दिया हवाला

*** ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश-2005 : एससी में किसी तरह का वर्गीकरण या बदलाव सिर्फ संसद द्वारा।**

*** इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992: सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ओबीसी पर क्रीमीलेयर लागू किया। यह फैसला एससी-एसटी आरक्षण पर नहीं था।**

*** एम. नागराज बनाम भारत संघ 2006: फैसले में क्रीमीलेयर का जिक्र हुआ था, लेकिन केन्द्र के मुताबिक यह सिर्फ टिप्पणी थी, एससी-एसटी पर लागू करने का आदेश नहीं।**

*** अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि क्रीमीलेयर का सिद्धांत ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में है, एससी-एसटी आरक्षण के लिए नहीं।**

क्रीमीलेयर और उससे जुड़े नियम

*** क्रीमीलेयर ओबीसी के आर्थिक और सामाजिक रूप से सम्पन्न परिवारों को कहा जाता है, जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता।**

*** इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का फायदा वास्तव में जरूरतमंद और पिछड़े लोगों तक पहुंचे।**

*** 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में पहली बार क्रीमीलेयर का सिद्धांत लागू किया था।**

*** इस फैसले के बाद ओबीसी के सम्पन्न वर्ग को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण से बाहर कर दिया गया।**

*** एससी-एसटी के लिए फिलहाल क्रीमीलेयर का नियम लागू नहीं है। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी यही रूख दोहराया है।**

*** केन्द्र के मुताबिक एससी-एसटी आरक्षण सामाजिक और ऐतिहासिक भेदभाव पर आधारित है, केवल आर्थिक स्थिति पर नहीं।**

अध्यक्ष की कलम से

''ग्रेट भाजपा''

साथियों,

केंद्र सरकार ने यूजीसी के नये नियम लाकर जो कथित सवर्ण वर्ग को एक तरह की अग्नि परीक्षा में धकेला है उसमें वह उत्तीर्ण होता नजर नहीं आता है। वैसे तो कथित सवर्ण समाज संविधान सम्मत नहीं है क्योंकि तथ्यत 'सवर्ण' तो एस सी-एसटी, ओबीसी भी है। लेकिन लोक धारणा और जाति आरक्षण से वंचित रहे कायस्थ सिन्धी पंजाबी ब्राह्मण, महाजन, राजपूत को मिलाकर इन दिनों सवर्ण समाज कहलाता है।

इसी कथित सवर्ण समाज में से केवल क्षत्रिय वर्ग ऐसा है जो खुलकर विरोध में सड़कों पर है। न केवल राजस्थान में घोषित 600 कि.मी. की पद यात्रा कर के महिपाल मकराना ने अलख जगाई वरन इन दिनों हरियाणा में पद यात्रा कर रहे हैं। आगे यूपी, बिहार में भी जाने की सुचना है।

कथित सवर्ण समाजों की नीम बेहोशी का अनुभव समता आन्दोलन को भी है। लेकिन संवैधानिक विरोध करने के कारण हम पर कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन यूजीसी नए नियमों के मामले में ये आशा स्वाभाविक है कि कथित सवर्ण समाज के सभी घटक आसन्न संकट को समझे।

यूजीसी नए नियमों का थोपा जाना ऐसा कदम है जो पूरे विपक्ष को गूंगा बना चुका है। अब किसी से कोई आशा नहीं है। आइये शर्मिंदगी से सिर झुका कर भाजपा के नेतृत्व को कह दें - ''तुसीग्रेट हो''

जय समता।

सम्पादकीय

''फिर भस्मासुर !!!''

भले ही गोदी मीडिया चौराहे पर निवस्त्र नाचता रहे। पूरे देश के सारे अधिकार स्थगित कर दिए गये हों। भले ही एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में सामुहिक संचरण बन्द कर दिया गया हो। भले ही राजधानी दिल्ली को एक अलग देश के रूप में निरूपित किया जा रहा हो। भले ही संसद को पंगु बना दिया गया हो.....।

कितने भी उदाहरणों के बाद भी यह मानना पड़ेगा कि देश बहुत गर्म है। यह कोई वाक्य नहीं अपितु तथ्य है। प्रमाणित तथ्य जो इस रूप में दिखाई देता है कि एक यूनिवर्सिटी के विधि संकाय द्वारा आयोजित डिग्री वितरण समारोह में छात्रों ने देश के मुख्य न्यायाधीश के हाथों डिग्री लेने से साफमना कर दिया।

कोई सोच भी नहीं सकता था कि बारह साल बाद केन्द्र की अडिग और कठोर सरकार जड़मूल हिल जायेगी और उसके शिक्षा मंत्री को स्तीफा देना पडेगा? कौन मान सकता था कि इन दिनों भारत के सबसे प्रखर नेताओं अमित शाह और नरेन्द्र मोदी से भी स्तीफा माँगा जाने लगेगा ?

दृश्य मीडिया सच में दुधारी तलवार होता है। इसके माध्यम से सच को दबाया जाता है तो झूठ अपने आप सच का विरोध करने खड़ा हो जाता है। विशेष कर सोशल मीडिया ने तो दृश्य मीडिया को बहुत ही बौना सिद्ध कर दिया है। सी जे पी अर्थात काक्रोच जनता पार्टी की सफलता का पूरा का पूरा श्रेय तो सोशल मीडिया को ही जाता है। सी जे पी की चर्चा आते ही उपरोक्त सभी बाते इस सम्पादकीय की भूमिका बन कर रह जाती है। हमारा साफ और तथ्यत: ये मानना है कि किसी बड़ी योजना (षड़यंत्र) के तहत कथित दलितों को भारत का मुख्य बल बनाने का अभियान चल रहा है। याद कीजिये सीजेपी चीफका भारत में कदम रखते ही जो पहला ट्वीट किया गया उसके अंत में जय भीम का उद्घोष था। बस! इसके बाद तो सारे समीकरण सीजेपी के पक्ष में हो गये?

हमें तो क्या किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती कि लोकतंत्र को पुन: परिभाषित करने का अधिकार सभी को है। लेकिन प्रश्न ये है कि बड़े परिवर्तन के लिये राष्ट्र को दाव पर लगाने की क्या जरूरत थी? इसका जो परिणाम होना था ठीक वही हुआ है। सीजेपी अब सरकार के सामने ही भस्मासुर बनकर खड़ी हो गई है। और इस पर मोहिनी का रूप धारण करने वाले विष्णु भी गहरी नींद में चले गये है। हालांकि लोकतंत्र बड़े से बड़े आघात को झेल जाता है। लेकिन जात के दंश से वह बच पायेगा इस पर शक करने के पर्याप्त प्रमाण है।

जय समता ।

– योगेश्वर झाड़सरिया–

इंजी. कैलाश राजपुरोहित

ऐसे तो कैसे बनेगा भारत विश्वगुरू?

तिलचट्टा आंदोलन...

जंतर मंतर, भूख हड़ताल, संसद घेराव, आगजनी, अराजकता, अश्लीलता, सेना, पुलिस, देश, सरकार की हाय हाय, बुजुर्ग पितामह तुल्य सम्मानित प्रधानमंत्री व माता श्री को निकृष्टतम गालियाँ, ऐसी कि सुन कर कानों से लहू बहने लगे... सभी देशवासियों ने ये शर्मनाक दृश्य हाल ही में देखे। पुलिस की जीपों को आग लगाने व पुलिस कर्मियों की लिंचिंग करने वाले चरम अश्लीलता, अराजकता व हिंसा पर उतारू, संसद को कब्जा कर भारत माँ को नेपाल, लंका व बंगलादेश बनाने की तमन्ना रखने वाले सूक्ष्मअतिसूक्ष्म जेन जी व धूर्त राजनैतिक सहयोगियों को दंडित करना सरकार का परम कर्तव्य है। दुष्ट दलन अत्यावश्यक है, अपरिहार्य है।

और जिन महानुभावों को इन असभ्य, अराजक, हिंसक, संस्कारहीन, अश्लील चिरकुट तिलचट्टों, गिरगिटों, गबरैलों, खटमलों, चमगादड़ों, उल्लुओं, रंगे सियारों, घड़ियालों, धूर्त राजनीतिज्ञों में भारत का स्वर्णिम भविष्य नजर आता है उन महानुभावों से क्षमा सहित निवेदन कर दूं कि उन्हें समय रहते अपने मोतियाबिंद का ओपरेशन अवश्य करवाना चाहिये, इन तिलचट्टों का अमर्यादित, अराजक, अश्लील आचरण इनके अभिभावकों व गुरुजनों के चेहरे पर हमेशा के लिए कालिख पोतने जैसा है।

वास्तविक जेन जी कौन ?

लेकिन क्या अराजकता, अश्लीलता फैलाने वाले ये गालीबाज वास्तविक जेन जी हैं? नहीं, कदापि नहीं। वास्तविक जेन जी तो राष्ट्र की सुरक्षा में सीमाओं पर तैनात है, खेतों में हल जोतता है, विभिन्न व्यवसाय कर राष्ट्र की उत्पादकता में अपना योगदान दे रहा है, वास्तविक जेन जी तो इंजीनियरए डॉक्टर, वैज्ञानिक आदि के रूप में विश्वभर में भारत माँ का सम्मान बढ़ा रहा है, देश का विदेशी मुद्रा भंडार भर रहा है,वास्तविक जेन जी तो विभिन्न संस्थानों में पढ़ कर देश, समाज व स्वयं के उज्ज्वल भविष्य के लिए जी जान से जुटा है, मेहनत, संघर्ष कर रहा है,असली जेन जी तो नीट आदि की परीक्षा में 800 में से 565 अंक पाकर भी, फेल घोषित कर दिये जाने के बावजूद, अगले वर्ष की नीट की तैयारी हेतु पूरी हिम्मत और लगन से पुन: जुटा है। भारत माँ को समर्पित, भारत की प्रगति में जुटा हर युवा असली जेन जी है।

वास्तविक समस्या कहाँ है??

सरकार ने परीक्षाओं के पेपर लीक करने वालों को आर्थिक दण्ड एक से दस करोड़ कर दिया, जेल एक साल से बढ़ा कर दस साल कर दी, त्वरित न्याय की व्यवस्था कर दी, लेकिन जब तक रईस अभिभावक अपने अयोग्य बच्चों को येन केन प्रकारेण डॉक्टर, इंजीनियर, अफ्सर आदि बनाने के प्रयास करते रहेंगे तब तक पेपर बिकते रहेंगे... दण्ड कठोर होने से ये अपराध घटेंगे अवश्य, पर रुकेंगे नहीं।

पेपर बिकने या लीक होने का सबसे खतरनाक दुष्परिणाम ये है कि अयोग्यता जीत जाती है योग्यता हार जाती है। सबसे अधिक सामान्य वर्ग के मेहनती, योग्य युवाओं को इसका दुखद परिणाम जीवन भर भुगतना पड़ता है। समाज और देश को अयोग्य डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रशासक मिलते हैं जो देश को गर्त में ही धकेलते हैं।

जातिगत आरक्षण नीति के तहत, प्रतिनिधित्व के नाम पर, संविधान और शासन प्रशासन मिलकर, सत्तर सालों से खुद ही अयोग्य शिक्षक, डॉक्टर, इंजिनियर, प्रशासक आदि का चयन कर रहे हैं। सत्तर सालों से सभी सरकारों ने लाखों अयोग्य अभ्यर्थियों का खुलेआम चयन किया है। पेपर लीक होने, बिकने या जातिगत आरक्षण के माध्यम से अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन राष्ट्र के लिए घातक है।

जातिगत आरक्षण है क्या? जिसका जितना जूता भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी.....

सीधे और सरल शब्दों में कहें तो जातिगत आरक्षण अयोग्य अभ्यार्थी द्वारा सुयोग्य, मेहनती अभ्यर्थियों की छाती पर संवैधानिक लात है, यह संवैधानिक जातिगत आरक्षण भारत की सर्वाधिक असफ्ल योजना है। जातिविहीन समाज बनाकर समानता, सद्भाव, समरसता लाना ही तो इसका उद्देश्य था। वास्तव में हुआ ठीक इसके उल्टा। जातिगत आरक्षण के चलते आज विभिन्न सामाजिक वर्गों में आपसी वैमनस्य का जहर चरम पर है, जातिवाद बढा ही है, घटा रत्ती भर भी नहीं है। आरक्षण के चलते अयोग्यता जीती, योग्यता हारी और इसीलिए हर समाज आज जैसे तैसे पिछडा, दलित, महादलित बन जाना चाहता है। आरक्षण की मलाई चाटने की अंधी होड़ मची है।

अफ्सोस ये कि पचहत्तर सालों में आरक्षण पर अरबों खरबों खर्च करके, हर क्षेत्र में आरक्षण पाकर भी, एक भी दलित, आदिवासी सामान्य नहीं बन पाया..... क्या वास्तव में उन्हें सामान्य बनना भी है? क्या सर्वोच्च न्यायालय में भाजपा सरकार का वक्तव्य कि एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर का सिद्धांत लागू ही नहीं किया जा सकता। आरक्षण की मूल भावना की हत्या के समान है। इसका मतलब ये कि सरकार ने भी साबित कर दिया कि आरक्षण सिर्फ रईसों की बपौती है। गरीब एससी-एसटी के नसीब में अब आरक्षण नहीं रहा।

आरक्षण अब वोट कमाने का टूल मात्र बन गया है। क्या भाजपा और क्या कांग्रेस, सपा, बसपा, आरक्षण के विषय में सभी एक ही थैली के चिट्टे बिट्टे हैं। किसी को योग्यता से कोई सरोकार नहीं। योग्यता को गर्त में धकेल कर भाजपा जीते या कांग्रेस, देश हार जाएगा।

जापान, कोरिया, चीन, इजराइल आदि देश भारत के साथ ही तो आजाद हुए। विशाल क्षेत्रफ्ल व डेढ सौ करोड़ की जनसंख्या के बावजूद भारत इनके समक्ष आज कहाँ है? इन देशों की प्रगति का मूल कारण ही ये है कि इन देशों ने अपने युवाओं की प्रतिभाओं का पालन पोषण किया, उनकी योग्यता को प्रस्फुटित, पुष्पित, पल्लवित होने में हर संभव मदद की। कम से कम जातिगत आरक्षण जैसी वोट कमाऊ नीतियाँ लागू कर योग्यता की भ्रूण हत्या तो नहीं ही की।

भारत में जो योग्य युवा थे वो आरक्षण से त्रस्त होकर विदेश जा बसे। नासा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, आइबीएमए एडोबी आदि विश्वविख्यात कंपनियों की सफ्लता में भारतीय इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान हैं। इनको भारतीय कह कर हम भले ही अपने गाल बजाएं लेकिन अब ये भारतीय नहीं हैं, ये कभी भारत नहीं लौटेंगे। आरक्षण के चलते ऐसी महान प्रतिभाओं को देश ने हमेशा के लिए खो दिया।

भूल मत जाइए कि यही सामान्य वर्ग ही है जिसने भाजपा को फर्श से अर्श पर बैठाया था। यही सामान्य वर्ग ही है जो भाजपा की रीढ़ था, है भी। भाजपा अपनी ही रीढ़ स्वयं ही तोड़ लेगी तो भाजपा के पास बचेगा क्या ? और जो बचेगा उसे भाँति भाँति का जिहाद लील जाएगा।

अगर ऐसे ही निरंकुश आत्मघाती कानून और गतिविधियाँ चलती रहीं तो क्या भारत कभी विश्वगुरु बनेगा ?

पौराणिक कथन : 'अग्नि'

पंच महाभूतों में से एक। इसे हुताशन, हव्यवाहन भी कहा गया। स्वारोचिष मनु इनके पुत्र हैं और स्वाहा पत्नि का नाम है। यह पूर्ण सत्वगुणी है।

संकल्पों की सभी पताका,
संकल्पों से ही लहराती।
जाति के जर्जर खम्बों पर,
देशभक्ति नहीं टिक पाती।।

कविता

''अब ना बचेगा ये अंधियारा''

अनपढ सारे अत्याचारी,
पहले दिखते सरल भिखारी,
चढते ही सत्ता की सीढी,
करते अपना दुष्ट पसारा।।
कुत्सित राजनीती की धारा,
चलते-चलते बहते-बहते,
बिन बोले बिन किसी को कहे,
रोज बदलती स्वयं किनारा।।
जात-पात का भेद बढाकर,
साधो जन को खुद धमकाकर,
निर्दोषों का खून बहकार,
बन जाते सच का हरकारा।।
मान के विधि को जूता मौजा,
कहते नव विधान है खोजा,
भूल से उनको जेल भेजा,
कर देते सब बटाधारा।।
धौंस-दपट है उनका गहना,
कुछ मत बोलो चूप ही रहना,
जो कहना हो मन में कहना,
हर सू गुंडों का विस्तारा।।
जन का मन अब थका-थका,
लोक भाव कुछ और पका है,
जनबल दुनिया बदल सका है,
अब न बचेगा ये अंधियारा।।
अनपढ सारे अत्याचारी,
पहले दिखते सरल भिखारी,
चढते ही सत्ता की सीढी,
करते अपना दुष्ट पसारा।।

-समता डेस्क-

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

'सामाजिक न्याय' का यह अर्थ लगाया जा रहा है कि सरकार को सभी के लिए परिणामी समानता सुनिश्चित करनी चाहिए, कुछ मामलों में यह भी कहा जा रहा है कि सरकार कुछ विशेष वर्गों के सदस्यों को परिणामी समानता सुनिश्चित कराए, भले ही वे इसके लिए कोई भी प्रयास न कर रहे हों - किस तरह अर्हता-स्तर और अंकों को लगातार नीचे ले जाया जा रहा है और वह भी कुछ विशेष जातियों के अभ्यर्थियों के लिए ही ।

अनुच्छेद 16(4) में प्रयुक्त शब्दों की ओर संकेत किया है-यदि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य किसी समूह या वर्ग के लिए आरक्षण देश की कुल जनसंख्या में उसके अनुपात के अनुसार करने का होता तो वे स्वयं ये शब्द जोड़ सकते हैं-'के अनुपात में'।

एक ओर तो सरकारें लगातार घोषणा करती रहती हैं कि वे आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग के वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचना सुनिश्चित कराएंगी, जबकि सरकारों द्वारा कार्यपालिका और विधायिका : दोनों ही स्तरों पर की जाने वाली काररवाई - जिसमें मलाईदार परत को बाहर नहीं किया जाता बल्कि पिछड़े वर्ग की सूची में और भी जातियों को शामिल कर लिया जाता है - से आरक्षण की व्यवस्था में गम्भीर समस्या उत्पन्न हो रही है।'

सरकारे कोई न कोई कानून पारित करती रहती है। और जब न्यायालय इस प्रकार के कानून को निरस्त कर देता है तो कार्यपालिका एवं विधायिका और भी आगे बढकर संविधान में ही संशोधन कर देती है, ताकि न्यायालय को उनके द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त करने का रास्ता ही न मिल सके

जहाँ अधिकारिक रूप से कोई कोटा प्रणाली लागू नहीं है, सरकारें निचली अदालतों में पदों का बँटवारा जाति के आधार पर कर रही हैं । ऐसा नहीं है कि यह व्यवस्था निचली अदालतों तक ही सीमित है । निचली अदालतों में किसी व्यक्ति द्वारा कितने वर्षों तक सेवा की गई है, यह उसके उच्च स्तर के न्यायाधीश के रूप में चुने जाते समय महत्वपूर्ण माना जाता है । एक उच्च अधिकारी का मामला काफी चर्चित रहा था, जो उच्च न्यायालय में कुछ नियुक्तियों को तब तक रोककर रखता था जब तक उनमें किसी जाति वर्ग का कोई व्यक्ति विशेष शामिल नहीं कर लिया जाता था। इसका कुप्रभाव अधिकारियों के चयन तक ही सीमित नहीं है । वास्तव में इसका प्रभाव मुकदमे की प्रक्रिया और स्वरूप पर भी पडा है, क्योंकि लोग अकसर न्यायाधीशों को हमारे आदमी या उनके आदमी के रूप में देखने लगे हैं ।

यह सोचकर हम आत्मतुष्ट हो लेते हैं कि आरक्षण का विषाणु कम से कम न्यायपालिका से जुडी सेवाओं / नियुक्तियों तक नहीं पहुँच सका है । आरक्षण की व्यवस्था का विस्तार कम से कम मुसलिमों और ईसाइयों तक नहीं हुआ है । लेकिन यह सब सिर्फ आत्मतुष्टि की बात है

''आरक्षण की सीमा निर्धारित करना मूल रूप से सरकार के निर्णय-क्षेत्र में आता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि सरकार के निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वस्तुत: आरक्षण का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों, जन जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाना ही होना चाहिए।

'' हालांकि उन्होंने सचेत भी किया कि पदोन्नति में आनुपातिक आरक्षण लागू करते समय सरकार को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि इससे प्रशासन की कुशलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ''यह बात भुलाई नहीं जा सकती कि प्रशासन की कुशलता और सक्षमता सर्वोपरि है, उसकी उपेक्षा करके किसी तरह का आरक्षण का भी प्रावधान नहीं किया जा सकता।

दबाव में आकर सरकार को एक के बाद एक छूटें देनी पडेंगी । चूँकि सामाजिक न्याय पर दावा करनेवाले समूहों की संख्या कम नहीं है, यह और भी बढ सकती है और इनकी माँगें अकसर एक-दूसरे की माँगों से टकरा जाती हैं, अत:सरकारी व्यवस्था अक्षम हो जाएगी ।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन

दिल्ली के जंतर.मंतर पर आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। 'आरक्षण हटाओ आंदोलन' के बैनर तले जुटे प्रदर्शनकारियों ने जाति के बजाय आर्थिक स्थिति को सरकारी सहायता और आरक्षण का आधार बनाने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि गरीबी किसी जाति को देखकर नहीं आती, इसलिए सरकारी योजनाओं, शिक्षा, छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाओं का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को मिलना चाहिए।

इस प्रदर्शन में 'रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन' के साथ जनरल सेना, चाणक्य सेना और करणी सेना समेत कई संगठनों के लोग शामिल हुए। सोशल मीडिया के जरिये भी इस आंदोलन को बड़े स्तर पर समर्थन जुटाने की कोशिश की गई। इस प्रदर्शन को नीट अभ्यर्थी हर्ष दुबे के नेतृत्व में आयोजित किए जाने की बात सामने आई है। यू ट्यूबर अजीत भारती समेत कई वक्ताओं ने भी प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। 'गरीब ब्राह्मण को भी अमीर मान लिया जाएगा'

जंतर.मंतर के मंच से आदित्य राज सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है। उन्होंने बिहार के जातिगत सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि सर्वे में बड़ी संख्या में भूमिहार-ब्राह्मण परिवारों के पास जमीन नहीं होने की बात सामने आई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार गरीबी दूर करने के लिए आर्थिक आधार को महत्वपूर्ण मानती है तो जाति के आधार पर किसी गरीब व्यक्ति को सुविधाओं से बाहर क्यों रखा जाए?

आदित्य ने कहा, बिहार सरकार ने कहा कि बिहार में भूमिहीनों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। हम जातिगत सर्वे कराएँगे और जिन जिन लोगों के पास भूमि नहीं होगी हम भूमि दान कर देंगे। बिहार में जातिगत सर्वे हुआ और जातिगत सर्वे की रिपोर्ट ने बताया कि बिहार में 27 प्रतिशत भूमिहार ब्राह्मणो के पास एक इंच जमीन भी नहीं है। सरकार ने कहा अब हम नहीं देंग।

इसके साथ ही आदित्य ने कहा, हर्ष दुबे गरीब होकर भी ब्राह्मण होने के नाते अगड़े मान लिए जाएंगे। आदित्य राज सिंह गरीब होकर भी... दिल्ली आने का भले पैसा नहीं होगा... लोन लेकर आएंगे... लेकिन फिर भी अमीर मान लिए जाएंगे। ऑटो में बैठकर आएंगे, संपन्न सवर्ण मान लिए जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बच्चों को आईएएस के एग्जाम में आरक्षण दे दिया। यह व्यवस्था चल रही है या मजाक चल रहा है.....

''जाति नहीं आर्थिक स्थिति के मद्देनजर मिले आरक्षण''

इस प्रदर्शन में शामिल लोगों की सबसे बड़ी मांग यही रही कि सरकारी मदद का आधार आर्थिक स्थिति को बनाया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गरीब छात्र चाहे किसी भी जाति से हो, उसे अच्छी शिक्षा, कोचिंग, छात्रवृत्ति, फीस और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए।

एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि गांवों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा का मौका मिलना चाहिए, ताकि वे डॉक्टर, इंजीनियर और दूसरे पेशेवर बन सकें । प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि अगर सरकार विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चल रही है तो प्रतिभा और आर्थिक जरूरत के बीच संतुलन बनाना भी जरूरी है।

इसी दौरान 'गरीबों को आरक्षण' जाति को नहीं। जैसे नारे भी लगाए गए। आंदोलनकारियों का कहना था कि जातिगत पहचान के बजाय जरूरतमंद व्यक्ति तक सरकारी सहायता पहुंचनी चाहिए।

कोटा के अंदर कोटा और क्रीमी लेयर की भी मांग

प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की मांग भी उठाई। उनका तर्क था कि आरक्षण का लाभ वास्तव में सबसे पिछड़े और जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इसके लिए 'कोटा के अंदर कोटा' और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधानों पर भी चर्चा की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आरक्षण के लाभ का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार को पूरे सिस्टम की समीक्षा करनी चाहिए।

कुछ प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण व्यवस्था पर एक 'स्वेत पत्र' जारी करने की मांग भी की। उनका कहना था कि पिछले कई दशकों में आरक्षण के जरिए किन वर्गों को कितना लाभ मिला और कौन से समुदाय अब भी पीछे हैं, इसका विस्तृत आंकलन सार्वजनिक होना चाहिए।

ईडब्ल्यूएस को ज्यादा सुविधाएं देने की मांग

प्रदर्शनकारियों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए भी ज्यादा सुविधाओं की मांग उठाई। उनका सवाल था कि अगर सरकार किसी वर्ग को आर्थिक रूप से कमजोर मानती है तो उसे वास्तविक राहत भी मिलनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आवेदन शुल्क, हॉस्टल फीस और कोर्स फीस में रियायत जैसी सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। उनका कहना था कि केवल ईडब्ल्यूएस का दर्जा देने से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की समस्या हल नहीं होगी, बल्कि उन्हें शिक्षा के स्तर पर वास्तविक सहायता भी मिलनी चाहिए।

आईआईटी-आईआईएम में न्यूनतम अंकों की मांग

प्रदर्शन में उच्च शिक्षा में दाखिले को लेकर भी सवाल उठाए गए। यूट्यूबर अजीत भारती ने आईआईटी-आईआईएम जैसे संस्थानों में दाखिले के लिए न्यूनतम अंकों की व्यवस्था बनाए रखने की मांग की। उनका तर्क था कि देश को विकसित बनाने के लिए उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और योग्यता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद जरूर होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ शिक्षा की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा का स्तर भी बनाए रखना जरूरी है।

एससी-एसटी एक्ट और यूजीसी नियमों पर भी विरोध

प्रदर्शन में आरक्षण के अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण); कानून और यूजीसी के इक्विटी नियमों को लेकर भी कुछ प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया। उनका आरोप था कि कानूनों और नियमों का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

हालांकि, इन मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों के बीच अलग.अलग राय भी सामने आई और पूरा आंदोलन मुख्य रूप से आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा तथा आर्थिक आधार को अधिक महत्व देने की मांग पर केंद्रित रहा।

आरक्षण विरोधी ऑनलाइन मुहिम सड़कों पर उतरती दिख रही है

नागपुर से लेकर लखनऊ तक और जयपुर से लेकर विशाखापट्टनम तक आरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं

नागपुर से लेकर लखनऊ, जयपुर और विशाखापत्तनम तक देश के कई शहरों में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच, जाति.आधारित आरक्षण के खिलाफ एक समानांतर ऑनलाइन अभियान भी तेजी से गति पकड़ रहा है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ, आरक्षण विरोध की बढ़ती आवाजें भारत की सबसे संवेदनशील राजनीतिक बहसों में से एक की फिर से केन्द्र में ला सकती है।

पिछले कुछ सप्ताहों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई है, जो पहली नजर में अलग-अलग प्रतीत होती है, लेकिन सामूहिक रूप से एक व्यापक जनभावना के उभरने का संकेत देती हैं।

सीजेपी की तर्ज पर यह मुहिम भी सोशल मीडिया पर शुरु हुई, जब एक छात्र वेदांत ने इंस्टाग्राम पर रिज़र्वेशन हटाओ आंदोलन (आर् एच.ए.) पेज शुरु किया और अब इसके 59 लाख फॉलोअर्स हैं और कई चर्चित हस्तियों ने भी इसे समर्थन दिया है।

आर.एच.ए. के समर्थक जंतर मंतर पर धरना.प्रदर्शन भी किया गया और आगे भी करने की योजना भी बना रहे हैं।

ऑनलाइन दुनिया में आरक्षण विरोधी अभियान को तेजी से समर्थन मिल रहा है। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन (आर् एच.ए.) का इंस्टाग्राम पेज, जिसने सीजेपी के नेतृत्व वाले आंदोलनों के शांत पड़ने के बाद लोकप्रियता हासिल करनी शुरू की, अब लगभग 59 लाख फॉलोअर्स के साथ जाति.आधारित आरक्षण के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है और इसकी समीक्षा व तार्किक पुनर्संरचना की मांग कर रहा है।

आरएचए ने पिछले सप्ताह महाराष्ट्र के नागपुर में अपना पहला जमीनी प्रदर्शन भी आयोजित किया। इसके कुछ ही दिनों बाद जयपुर में राजपूत संगठन 'श्री राजपूत करणी सेना' के सदस्यों का आंदोलन उग्र हो गया। संगठन के कार्यकर्ता, अब स्थगित किए जा चुके, यूजीसी के जातीय समानता संबंधी नियमों के विरोध में सड़कों पर उतरे और पुलिस से उनकी झड़प हुई। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत का भी आरोप लगाया गया। करणी सेना के नेताओं ने अपने आराध्य देवताओं की शपथ लेकर स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को वोट न देने का संकल्प लिया है।

इन घटनाक्रमों को एक साथ देखें तो स्पष्ट होता है कि आरक्षण विरोधी आवाजें अब ऑनलाइन और जमीनी स्तरए दोनों पर अधिक मुखर होती जा रही है। लेकिन यह आंदोलन विभिन्त्र समूहों में बंटा हुआ दिखाई देता है।

हर्ष दुबे जंतर.मंतर पहुंचकर आंदोलन का नेतृत्व करने की तैयारी में है। वहीं, आरएचए इंटरनेट पर आरक्षण विरोधी अभियान को आगे बढ़ा रहा है, जबकि श्री राजपूत करणी सेना जयपुर की सड़कों पर अपनी अलग लड़ाई लड़ रही है।

फिर भी यह तो साफ है कि आरक्षण विरोधी भावना पहले की तुलना में अधिक मजबूत होती जा रही है। शिक्षाविद एवं लेखक आनंद रंगनाथन, पत्रकार एवं कंटेंट क्रिएटर अजीत भारती तथा लेखिका.निर्देशक अनुराधा तिवारी जैसी प्रमुख हस्तियां भी उस आरएचए मंच से जुड़ गई हैए जिसकी शुरुआत कुछ सप्ताह पहले वेदांत नामक एक छात्र ने की थी।

इन प्रमुख आवाजों द्वारा मांगों की एक सूची भी जारी की गई है।

राजनेता हमेशा की तरह आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर खुलकर बोलने से बच रहे है। लेकिन जमीनी स्तर पर केवल श्री राजपूत करणी सेना और हर्ष दुबे ही शिक्षा, नौकरियों तथा अन्य क्षेत्रों में जाति.आधारित आरक्षण के खिलाफ लोगों को संगठित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं।

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, टिप्पणीकार और सार्वजनिक बुद्धिजीवी भी आरक्षण के मुद्दे पर बंटे हुए है। कुछ वर्तमान व्यवस्था के पक्ष में हैं, कुछ इसे पूरी तरह समाप्त करने की मांग कर रहे है, जबकि कुछ का मानना है कि आरक्षण केवलं अधिक सख्त पात्रता मानदंडों के साथ ही जारी रहना चाहिए।

ऑनलाइन और ऑफ्लाइन, दोनों स्तरों पर आरक्षण विरोधी आवाजें लगातार तेज होती जा रही है। यह रुझान भारत में जाति.आधारित आरक्षण को लेकर पहले से ही बेहद संवेदनशील और विभाजनकारी बहस को और अधिक तीखा बना सकता है। ऐसे समय में इसका उभार कई पक्षों के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है।

आरक्षण विरोधी अभियान ऐसे समय में तेज हुआ है, जब कुछ ही सप्ताह पहले सीजेपी के नेतृत्व में चले लंबे आंदोलन का समापन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के साथ हुआ था। इसके बाद यूजीसी के समानता संबंधी नियमों को लेकर देशभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए।

सवर्ण समुदाय के लोगों ने इन नियमों को 'अनुचित', 'अन्यायपूर्ण', 'योग्यता के सिद्धांत को कमजोर करने वाला' और 'सवर्ण वर्ग को अनुचित रूप से निशाना बनाकर सामाजिक विभाजन को और गहरा करने वाला' बताया। इसी वर्ष फरवरी में सवर्ण समुदाय ने इन नियमों को 'काला कानून' करार दिया था।

ये घटनाक्रम केन्द्र और राज्यों की सरकारों के साथ-साथ, सत्ता में मौजूद राजनीतिक दलों के लिए भी नई चुनौतियां पैदा कर सकते हैं।

देश में चुनावों का व्यस्त दौर सामने है। वर्ष 2027 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी चुनाव होंगे।

इनमें से कई राज्यों, विशेषकर देश के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में, जाति अब भी चुनावी राजनीति का सबसे निर्णायक कारक मानी जाती है। अक्सर कहा जाता है कि नई दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in